न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

अपील प्रकरण कमांक 8000–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–9–2016 पारित द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर पृष्ठांकन कमांक 5(1) 2016–17/4710.

मेसर्स ग्रेट गेलियन लिमिटेड शेजवाया
जिला धार ....अपीलार्थी

विरूद्ध

1– आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
2– उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता इन्दौर
3– जिला आबकारी अधिकारी जिला धार ....प्रत्यर्थीगण

श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री राजीव गौतम, अभिभाषक, प्रत्यर्थीगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/8/2017 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 (सी) के अंतर्गत आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–9–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा उसे बोतल बन्द देशी मदिरा प्रदाय के लिए आवंटित धार क्षेत्र के देशी मदिरा स्टोरेज मद्यभाण्डागार धार में माह अप्रैल 2012, देशी मदिरा स्टोरेज मद्यभाण्डागार सरदारपुर में माह अक्टूबर, 2012 से मार्च 2013, देशी मदिरा स्टोरेज मद्यभाण्डागार बदनावर में माह अप्रैल 2012, देशी मदिरा स्टोरेज मद्यभाण्डागार धरमपुरी में माह अगस्त 2012, अक्टूबर 2012, नवम्बर 2012 तथा जनवरी 2013 एवं देशी मदिरा स्टोरेज मद्यभाण्डागार कुक्षी में माह अप्रैल 2012 से मार्च 2013 तक की अवधि में म.प्र. शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के आदेश कमांक बी–1–51/2011/2/दिनांक 31–1–2012 के अनुसार कांच की बोतलों में एक दिवस के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत का न्यूनतम संग्रह नहीं रखे जाने के कारण आबकारी

आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को कारण बताओ सूचना पत्र कमांक 5(1)/2015–16/74 दिनांक 8–1–2016 जारी किया गया । अपीलार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर संतोषजनक नहीं होने के कारण आबकारी आयुक्त द्वारा दिनांक 23–9–2016 को आदेश पारित कर अपीलार्थी कम्पनी द्वारा मध्यप्रदेश देशी स्प्रिट नियम 1995 (जिसे संक्षेप में देशी स्प्रिट नियम कहा जायेगा) के नियम 4 (4) व सी.एस. 1 लायसेंस की शर्त कमांक 3 का उल्लंघन किये जाने से देशी स्प्रिट नियम के नियम 12(1) के अन्तर्गत अपीलार्थी पर रूपये 15,000/– शास्ति अधिरोपित करते हुए कुल 631 दिवस एक दिन के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत बोतलबंद देशी मदिरा का संग्रह कांच की बोतलों में नहीं रखे जाने से रूपये 250/– प्रतिदिन के मान से रूपये 1,57,750/– कुल रूपये 1,72,750/– शास्ति अधिरोपित की गई । आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए गए हैं :–

(1) आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का विधिवत अवसर प्रदान किये बिना जो आदेश पारित किया गया है, वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है ।

(2) किसी व्यक्ति को आरोपी सिद्ध करने से पूर्व उसे साक्ष्य एवं सुनवाई का विधिवत एवं पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, जिसका विधिवत जवाब अपीलार्थी कम्पनी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निर्धारित अवधि में प्रस्तुत कर दिया गया था, तब ऐसी स्थिति में उस पर विधिवत विचार किये जाने के पश्चात ही आदेश पारित किया जाना चाहिए था ।

(3) अपीलार्थी कम्पनी द्वारा कांच की बोतलों में देशी मदिरा का प्रदाय किया जाता रहा है, किन्तु कांच की बोतलों का प्रदाय फुटकर ठेकेदारों द्वारा नहीं उठाया जाता है, क्योंकि फुटकर ठेकेदार बाजार की मांग के अनुसार प्रदाय उठाते हैं । ऐसी स्थिति में अपीलार्थी कम्पनी द्वारा कांच की बोतलों में प्रदाय को अधिक दिनों तक नहीं रखा जा सकता है, इस व्यवहारिक स्थिति पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लेशमात्र भी विचार नहीं किया गया है ।

(4) अपीलार्थी कम्पनी द्वारा देशी स्प्रिट नियमों के नियम 4(4) व सी.एस. 1 लायसेंस की शर्त कमांक 3 का उल्लंघ नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में नियम 12(1) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं ।

(5) अपीलार्थी कम्पनी के कारण राज्य शासन को क्या हानि हुई है, इसका कोई स्पष्टीकरण आक्षेपित आदेश में नहीं है ।

(6) संविदा अधिनियम की धारा 73 एवं 74 में यह प्रावधान है कि संविदा के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को कोई हानि होती है तो उसकी पूर्ति करायी जा सकती है । वर्तमान प्रकरण में राज्य शासन को कोई हानि होना साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है । ऐसी स्थिति में अपीलार्थी कम्पनी पर जो शास्ति अधिरोपित की गई है, वह नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

तर्कों के समर्थन में ए.आई.आर. 2000 म.प्र. 92, 2000 आर.एन. 9, 2001 (1) एम.पी. एल.जी. 229, ए.आई.आर. 1970 सुप्रीम कोर्ट 253, ए.आई.आर. 1980 सुप्रीम कोर्ट 346, ए.आई.आर. 1985 सुप्रीम कोर्ट 285 एवं ए.आई.आर. 1973 एस.सी. 1098 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

4/ प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए गए हैं :–

(1) अपीलार्थी को पूर्व में दिनांक 9–2–2016 को राशि जमा कराये जाने हेतु सूचना पत्र जारी किया जाकर उसे सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने के बाद ही आबकारी आयुक्त द्वारा आदेश पारित किया गया है ।

(2) अपीलार्थी का कृत्य देशी स्प्रिट नियमों के नियम 4(4) एवं सी.एस. लायसेंस की शर्त कमांक 3 का उल्लंघन होकर नियम 12(1) के अन्तर्गत दण्डनीय है ।

(3) अपीलार्थी को आसवनी में स्प्रिट उत्पादन के लिए मोलासिस की अनुपलब्धता की स्थिति में स्प्रिट कय कर या आयात कर आसवनी स्प्रिट का न्यूनतम संग्रह रखना था, किन्तु आसवक द्वारा नहीं रखा गया है, जो कि नियम का उल्लंघन है ।

(4) राजस्व की हानि न हो एवं आवंटित क्षेत्रों में प्रदाय व्यवस्था सुचारू रूप से बनाये रखा लेकिन नियमानुसार आसवनी में स्प्रिट का न्यूनतम संगह रखना अनिवार्य है ।

उनके द्वारा आबकारी आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । म.प्र. शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के आदेश कमांक बी–1–51/2011/2/पांच दिनांक 31–1–2012 से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में आबकारी आयुक्त द्वारा पत्र पृष्ठांकन कमांक 5(1)/11–12/590 दिनांक 5–3–2012 से अपीलार्थी कम्पनी को निर्देशित किया गया था कि वर्ष 2012–13 के लिए स्वीकृत प्रदाय क्षेत्र के मद्यभाण्डागारों में एक दिन के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत देशी मदिरा कांच की बोतलों में रखना अनिवार्य है । आबकारी आयुक्त के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि माह अप्रैल 2012, देशी मदिरा स्टोरेज मद्यभाण्डागार सरदारपुर में माह अक्टूबर, 2012 से मार्च 2013, देशी मदिरा स्टोरेज मद्यभाण्डागार बदनावर में माह अप्रैल 2012, देशी मदिरा स्टोरेज मद्यभाण्डागार धरमपुरी में माह अगस्त 2012, अक्टूबर 2012, नवम्बर 2012 तथा जनवरी 2013 एवं देशी मदिरा स्टोरेज मद्यभाण्डागार कुक्षी में माह अप्रैल 2012 से मार्च 2013 तक की अवधि में कांच की बोतलों में एक दिवस के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत न्यूनतम संग्रह नहीं रखा गया है, अतः अपीलार्थी कम्पनी द्वारा देशी स्प्रिट नियम के नियम 4 (4) व सी.एस. 1 लायसेन्स की शर्त कमांक 3 का उल्लंघन किये जाने के कारण आबकारी आयुक्त द्वारा देशी स्प्रिट नियम के नियम 12 (1) के अन्तर्गत रूपये 15000/– शास्ति अधिरोपित करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है । इसके अतिरिक्त अपीलार्थी कम्पनी द्वारा 631 दिवस में एक दिन के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत बोतल बन्द देशी मदिरा का न्यूनतम संग्रह कांच की बोतलों में नहीं रखी जाने से 250/– प्रतिदिन के मान से रूपये 1,57,750/– की शास्ति अधिरोपित करने में भी नियमानुसार कार्यवाही की गई है, इसलिए आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–9–2016 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर